हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म की तामील में जारी हुये
16/9/19	वकील प्रार्थी आफिस, P.O. व दीगर राजस्व में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम तिथि दिनांक 21-10-19 को पेश हो।	
21/10/19	वकील प्रार्थी आफिस। अप्रतिवादीगण की तामील नोटिस नहीं बढ़ी हुई है। अतः अब नोटिस देकर पत्रावली दिनांक 27/11/19 को पेश हो।	
27/11/19	वकील प्रार्थी आफिस। अप्रतिवादी की ओर से श्री A.K. जैन एड. आफिस। जवाब दावा पत्र की प्रति नहीं पत्रावली पर है। जवाब दावा पत्र दिनांक 18-12-19 को पेश हो।	
18/12/19	वकील प्रार्थी एवं अप्रतिवादीगण के वकील आफिस। दावा धारा 151 के अन्तर्गत दिया गया है। अतः दावा की संशोधन के अन्तर्गत पत्र 312 R.T.P. लेकिन दिया गया है। पत्रावली दिनांक 19 दिनांक 23/7/19 को अवधि को मूल दावा के निस्तारण तक के लिए कार्यवाही स्थगित की जाती है। पत्रावली कमांक सुमार होकर रेकार्ड मूल दावा रहे। इकरार सुनाया गया। पत्रावली पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)